14/2016 IV

1

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH CZ 781001

न्यास विलेख

यह न्यास विलेख **अनमोल सिंह एजूकेशन ट्रस्ट** ग्राम व पोस्ट–बामी, तहसील–मछलीशहर, जिला–जौनपुर में आज दिनांक 9-3-2016 को **अरविन्द सिंह पुत्र स्व0 अनमोल सिंह** ग्राम व पोस्ट–बामी, तहसील–मछलीशहर, जिला–जौनपुर उ0प्र0 जिसको यहाँ संप्रवर्तक (संस्थापक) कहा गया है, द्वारा निष्पादित किया गया है कि संप्रवर्तक (संस्थापक) इस न्यास के विकास, उत्थान, आदि का ध्यान रखते हुए प्रबन्धकीय व्यवस्था की

Aravind singh

9949558118

3818
08-03-16

[illegible]

दस्त. जारी - [illegible]

1001 [illegible]

15 16

16 FEB 2016

2

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH CZ 781740

(2)

देख–रेख आजीवन करता रहेगा। इसे प्रमुख न्यासी के रूप में जाना जायेगा।

अतः संप्रवर्तक (संस्थापक) स्वेच्छा से एक न्यास सृजित करने की सद इच्छा से रू0 11000/– (ग्यारह हजार रुपया मात्र) जिस पर उसका अनत्य व पूर्ण स्वत्वाधिकार है, जिसे वह व्ययन करने का पूर्ण अधिकार रखता है। इस धन राशि को पृथक करते हुए और न्यास **अनमोल सिंह एजूकेशन ट्रस्ट** निम्न उद्देश्य की पूर्ति के लिए सृजित करता है, और इस न्यास अभिलेख के आज दिनांक 9-3-2016 को निष्पादित करता है। एवं अपने हस्ताक्षर से सब–रजिस्ट्रार कार्यालय मछलीशहर, जौनपुर में पंजीयन हेतु प्रस्तुत कर रहा हूँ।

Aravind Singh

3819
08-03-16

3818

यास पत्र

11,000.00	500.00	160	660.00	62
न्यास की राशि	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	पृष्ठों की संख्या

श्री अरविन्द सिंह

पुत्र श्री स्व0अनमोल सिह

व्यवसाय कृषि

निवासी स्थायी बामी पर0धिसुवा तह0मछलीशहर जि0जौनपुर

अस्थायी पता

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 9/3/2016 समय 2:45PM

बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

(राकेश कुमार सिंह)
उप निबन्धक (मछलीशहर)
जौनपुर
9/3/2016

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून

न्यासी

श्री अरविन्द सिंह
पुत्र श्री स्व0अनमोल सिह
पेशा कृषि
निवासी बामी पर0धिसुवा तह0मछलीशहर
जि0जौनपुर

Aravind Singh

ने निष्पादन स्वीकार किया ।

जिनकी पहचान **धर्मेन्द्र सिह** Dh. Singh
उमेन्द्र सिंह

पेशा **कृषि**

निवासी **बामी पर0धिसुवा तह0मछलीशहर जि0जौनपुर**

व **वेदप्रकाश**
अवधनरायन

पेशा **कृषि**

निवासी **बामी उक्त**

ने की ।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

(राकेश कुमार सिंह)
उप निबन्धक (मछलीशहर)
जौनपुर
9/3/2016

भारतीय गैर न्यायिक
एक सौ रुपये
Rs. 100
रु. 100
ONE HUNDRED RUPEES
सत्यमेव जयते
भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH
CZ 781745

ट्रस्ट का नाम व पता :– अनमोल सिंह एजूकेशन ट्रस्ट ग्राम व पोस्ट–बामी, तहसील–मछलीशहर, जिला–जौनपुर उ0प्र0।

उद्देश्य :–

1. समाज को धार्मिक प्रवृत्ति से जोड़ना।
2. समाज में मानसिक,एवं चारित्रिक विकास हेतु कार्य करना।
3. ज्ञानार्जन हितार्थ पुस्तकालय एवं वाचनालय की निःशुल्क व्यवस्था करना।
4. शिशु विहार एवं बाल विकास केन्द्रो की स्थापना एवं संचालन करना।

Aravind singh

उप कोषाधिकारी
23 FEB 2016
मछलीशहर जौनपुर

न्यासी

Registration No.: 14 Year : 2,016 Book No. : 4

0101 अरविन्द सिंह

स्व0अनमोल सिह

बामी पर0धिसुवा तह0मछलीशहर जि0जौनपुर

कृषि

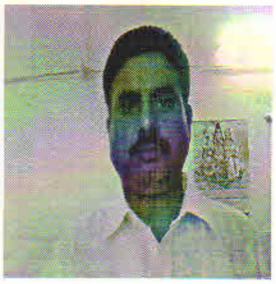

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

भारत

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BG 491041

5. समाज में शिक्षा के विकास के लिए शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना।
6. विशेष पर्वो पर धार्मिक आयोजन कराना।
7. वायुमण्डल शुद्व करने के लिए हवन एवं यज्ञ की व्यवस्था करना।
8. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में मांगलिक कार्य एवं शैक्षिक व्यवस्था करना।
9. गरीबों के सामूहिक वैवाहिक कार्यक्रमों की व्यवस्था करना।
10. ग्रामीण स्वास्थ्य रक्षा हेतु "योग एवं आयुर्वेद" के माध्यम से आयुर्वेदिक औषधालयों की स्थापना एवं संचालन करना।

Aravindsingh

3821
08-03-16

गवाह

Registration No.: 14 Year : 2016 Book No. : 4

W1 धर्मेन्द्र सिह

उमेन्द्र सिंह

बामी पर0घिसुवा तह0मछलीशहर जि0जौनपुर

कृषि

W2 वेदप्रकाश

अवधनरायन

बामी उक्त

कृषि

5

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BG 491042

11. स्वास्थ्य रक्षा हेतु चिकित्सालयों की स्थापना एवं विकास करना/चिकित्सालयों से सम्बन्धित अध्ययन अध्यापन के लिए शैक्षणिक संस्थाओं की व्यवस्था करना।
12. शैक्षणिक एवं अनुसंधानिक संस्थानों की स्थापना एवं संचालन करना।
13. आयुर्वेदिक औषधिय वनस्पतियों के विकास के क्रम में कृषि को बढ़ावा देना एवं उसके उत्पादन हेतु कृषि एवं वृक्षारोपड़ करना।
14. कृषि में जैविक एवं वानस्पतिक खादों का विकास कराना।
15. समाज में नैतिक, धार्मिक एवं चारित्रिक मूल्यों का सृजन एवं निर्माण के लिए शिक्षा का विकास करना।

Aravindsingh

3822
08-03-16
3818
15 16

6

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BG 491043

16. समाज में अध्ययन एवं कौशल निर्माण के माध्यम से सृजनात्मक एवं रचनात्मक क्षमता का विकास करने हेतु संस्थानों की स्थापना।
17. पर्यावरण के संरक्षण एवं संम्बर्धन हेतु नर्सरी, वृक्षारोपड़, जल संरक्षण सम्बन्धी उपाय करना।
18. उर्जा संरक्षण के लिए वैकल्पिक उर्जा स्त्रोतों का विकास एवं उपयोग को बढ़ावा देना। तथा इस सम्बन्ध में जन चेतना का विकास करना।
19. कृषि क्षेत्र में जैविक कृषि को बढ़ावा देना एवं नवीन उन्नत तकनीकों प्रयोग को प्रोत्साहित करना। खाद्य सुरक्षा हेतु भंडारन एवं विपणन का प्रबन्ध करना।

Aravindsingh

3823
08-03-16

3818

15-16

7

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BG 491044

20. नशा उन्मूलन एवं स्वास्थ्य हेतु मानसिक, औषधिय तथा योग के माध्यम से रोकथाम का प्रबन्ध करना और औषधीय कार्यशाला की स्थापना करना।

21. तकनीकी एवं प्राविधिक रोजगारेन्मुख शिक्षा हेतु शिक्षण संस्थानों की स्थापना एवं प्रबन्ध करना।

22. सांस्कृतिक लोक संस्कृत, कलाओं एवं साहित्य का संरक्षण, सम्बर्धन एवं विकास के लिए शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना।

23. असाध्य रोगों से पीड़ित रोगियों की मानसिक, आर्थिक एवं शारीरिक विकास हेतु कार्य करना तथा इन रोगों से सम्बन्धित दवा का उत्पादन करना।

Aravind Singh

3824

3818

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BG 491045

24. नवीन अनुसंधानों का समाज में उपयोग, उपभोग तथा उसके सन्दर्भ में ज्ञानार्जन हेतु राष्ट्रीय तथा अंतराष्ट्रीय संगोष्ठियों का आयोजन करना।

25. अन्य वह सभी कार्य जो समय–समय पर न्यासी उचित समझें और यतः एवं अब इस न्यास विलेख को स्वेच्छा एवं इस सद्–विचार से निष्पादित किया जाय उसपर कार्य करना।

26. अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ वर्ग, अतिपिछड़ा वर्ग के कल्याण विकास शैक्षिक उत्थान हेतु सरकारी योजना, अर्द्धसरकारी योजना एवं संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन एवं मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए कार्य करना। शासन द्वारा निर्धारित मानको के अनुरुप सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन, गठन, संचालन करना।

Aravind singh

3325
08-03-16
3818
15 16

9

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BG 491046

27. न्यास द्वारा जनहित के मुद्दो को मंच प्रदान करना।

28. न्यास द्वारा विशेष रुप से तकनीकी केन्द्र, शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान, एवं विद्यालयी शिक्षण केन्द्रों के स्थापना करते हुए भारत सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कार्य करना।

अतः इस प्रकार यह न्यास विलेख निम्नलिखित रूप में विलिखित किया जाता है :–

1. यह कि संप्रवर्तक (संस्थापक) जो उपरोक्त धनराषि रू0 11000/– (ग्यारह हजार रुपया मात्र) जिसका कि मै पूर्ण स्वत्वाधिकारी है। उसे यहाँ न्यास को अनन्य रूप से व्ययन हेतु हस्तांन्तरित एवं अनुदानित करता है, जिसे न्यासी होने के लिए और विशेष रूप से उपर वर्णित

Aravind singh

3826
08-03-16
3818
15/16

10

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BG 491047

प्रयोजन एवं उद्देश्य की पूर्ति हेतु अपनी सहमति प्रदान करते है। न्यासी उपरोक्त वर्णित उद्देश्य की पूर्ति हेतु इस न्यास निधि का समुचित उपयोग एवं उपभोग करेगें।

2. यह कि उपरोक्त रू0 11000/– (ग्यारह हजार रुपया मात्र) न्यास की "सम्पत्ति एवं कार्य" होगी। जो यहाँ "न्सास सम्पत्ति" के नाम से जानी जायगी। **"न्यास सम्पत्ति"** के अर्थ में उपरोक्त रू0 11000/– (ग्यारह हजार रुपया मात्र) सम्मिलित होगा, इसके अतिरिक्त कभी इनके अन्तर्गत न्यास द्वारा परिवर्धित, अनुवृद्वित और अर्जित किसी भी तरह की कोई भी चल–अचल सम्पत्ति, निहित होगी या किसी अन्य स्त्रोत से विधतः उपार्जित सम्पत्ति भी "न्यास सम्पत्ति" कहीं जायेगी।

Aravindsingh

3827

08-03-16

3818

50

15/16

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BG 491048

3. यह कि न्यास का नाम **अनमोल सिंह एजूकेशन ट्रस्ट** होगा।
4. यह कि न्यास का मुख्यालय आनापुर जौनपुर होगा। न्यासी को यह स्वतंत्रता होगी कि वह मुख्यालय को समय–समय पर जहाँ चाहे वहाँ पर स्थानान्तरित कर सकते है, और भारत के किसी भी स्थान पर उपरोक्त न्यास के नाम या किसी अन्य नाम से कार्यालय या शाखा खोल, सकते है।
5. न्यास के उद्देश्य हेतु **अनमोल सिंह एजूकेशन ट्रस्ट** स्मारक न्यास" के नाम से प्रचार एवं प्रसार सम्पूर्ण भारत में होगा।
6. न्यासी उपरोक्त न्यास सम्पत्ति पर अपना धारणाधिकार रखने हेतु अधिकृत किया जाता है।

Aravindsingh

3828
08-03-16
3818

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BG 491049

(अ) न्यासी, न्यास समपत्ति के अधिशेष, ब्याज, लाभांश और आय प्राप्त करेगा, और अन्य न्यास कार्य हेतु व्ययन करेगा, जो न्यास के हित में होगा।

(ब) न्यासी, न्यास सम्पत्ति के अधिशेष, ब्याज, लाभांश या अन्य अदायगी और यदि न्यासी ऐसे इच्छित हो कि न्यास हित में न्यास सम्पत्ति के कार्य या उसके किसी भाग को न्यास के उद्देश्य के प्रयोजन हेतु खर्च करता है, न्यासी को न्यास के प्रयोजन में सम्पूर्ण भारत में न्यास सम्पत्ति अर्जित करने एवं खर्च करने का अनन्य एवं स्वविवेकाधिकार होगा जिसे वह उचित समझता हो।

Aravind singh

आज दिनांक **09/03/2016** को

वही सं. **4** जिल्द सं. **25**

पृष्ठ सं. **251** से **312** पर कमांक **14**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

(राकेश कुमार सिंह)

उप निबन्धक (मछलीशहर)

जौनपुर

9/3/2016

(स) बिना किसी पूर्वाग्रह के सामान्य तथा वर्णित खण्डों में, यह यहाँ घोषित किया जाता है कि न्यासी उपरोक्त न्यास के उद्देश्य की पूर्ति हेतु न्यास सम्पत्ति उपार्जित, आय का उपयोजन उपभोग, या भुगतान का अधिकारी होगा, और न्यास के उद्देश्य की पूर्ति में स्थापना, सनिर्माण, अर्जन, पोषण, उन्नयन, अग्रसरण, परिचालन, समर्थन करने में न्यासीगण का स्वविवेकाधिकार होगा।

यहाँ कम से कम दो और पाँच से अधिक न्यासी सदस्य नहीं होगें जो मिलकर एक न्यास परिषद् का गठन करेगें, प्रारम्भिक न्यास परिषद् का गठन निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा गठित किया जाता है।

न्यास परिषद

1. **अरविन्द सिंह पुत्र स्व0 अनमोल सिंह** ग्राम व पोस्ट–बामी, तहसील–मछलीशहर, जिला–जौनपुर उ0प्र0। **(प्रबन्धक)**
2. **राकेश सिंह पुत्र स्व0 अनमोल सिंह** ग्राम व पोस्ट–बामी, तहसील–मछलीशहर, जिला–जौनपुर उ0प्र0। **(सचिव)**
3. **अनिल सिंह पुत्र स्व0 अनमोल सिंह** ग्राम व पोस्ट–बामी, तहसील–मछलीशहर, जिला–जौनपुर उ0प्र0। **(कोषाध्यक्ष)**
4. **श्रीमती रंजना सिंह पत्नी राकेश सिंह** ग्राम व पोस्ट–बामी, तहसील–मछलीशहर, जिला–जौनपुर उ0प्र0। (**सदस्य)**
5. **श्रीमती सविता सिंह पत्नी अरविन्द सिंह** ग्राम व पोस्ट–बामी, तहसील–मछलीशहर, जिला–जौनपुर उ0प्र0। (**सदस्य)**

Arvind Singh

6. **श्रीमती आरती सिंह पत्नी अनिल सिंह** ग्राम व पोस्ट–बामी, तहसील–मछलीशहर, जिला–जौनपुर उ0प्र0। (**सदस्य)**

7. **श्रीमती आन्ती सिंह पत्नी स्व0 अनमोल सिंह** ग्राम व पोस्ट–बामी, तहसील–मछलीशहर, जिला–जौनपुर उ0प्र0। (**सदस्य)**

न्याय परिषद का कार्य

1. न्यास परिषद् एक या इससे अधिक सदस्यों को नियुक्त कर सकता है, परन्तु यह संख्या किसी भी दशा में **सात** से अधिक नहीं होगी, लेकिन किसी भी न्यासी की रिक्ति में न्यास की कार्यवाही अवैधानिक नहीं होगी। न्यास परिषद की कोई भी कार्यवाही प्रबन्धक की अनुपस्थिति में अवैधानिक होगी। गणपूर्ति न होने पर प्रबन्धक का निर्णय प्रभावी होगा।
2. न्यासी सदस्य जो न्यास परिषद् द्वारा इसके बाद चुने जायेंगे नियुक्ति सहयोजित होगें वह प्रथमतः केवल एक वर्ष के लिए ही होगें, परन्तु यह न्यासी सदस्य पुनः चुने जाने या नियुक्ति पाने व सहयोजित होने के लिए समय–समय पर समयवधि की शर्तो की समाप्ति पर भी पात्र होगें। यह न्यासी सदस्य वह सभी शक्ति व विशेषाधिकार रखेगें जो अन्य न्यासी में निहित है परन्तु यह पद मुक्त की शर्तो के अधीन होगा प्रमुख न्यासी से इससे मुक्त होगा।
3. प्रारम्भिक न्यासी दूसरे न्यासी को नियुक्त कर सकते है जो मिलकर न्यास के अन्य सदस्यो से के नियुक्त कर सकते है।
4. न्यास सभा के गणपूर्ति अध्यक्ष की सहयोजिता द्वारा होगी या उसकी अनुपस्थिति में प्रबन्धक द्वारा होगी।

Aravind Singh

5. न्यास परिषद् को सामान्य सभा का गठन सदस्यों से करने का अधिकार होगा और सदस्य को ऐसी शर्तो जो उनके दान, अंशदान, या की गयी सेवा आदि द्वारा चयन किया जायेगा यही सदस्य सामान्य सभा बनायेगें। न्याय इस प्रयोजन के लिए नियम व विनियम बना सकते है।
6. न्याय की शासी निकाय, समिति, उपसमिति आदि गठित करने का भी अधिकार रहेगा जो न्याय की कार्यो का प्रबन्ध ऐसी शर्तो और समयाविधि के लिए न्यास के नियमें और विनियमों द्वारा और उपसमितियां भी ऐसे उद्देश्य हेतु जैसा कि न्यास परिषद् समय–समय पर उक्त शर्तो और समयावधि के लिए गठन करने का निर्णय ले सकती है।
7. संस्थापक न्यासी को पूर्ण अधिकार होगा कि किसी को भी किसी भी समय एक न्यासी के रूप में मनोनीत कर सकता है।

प्रबन्धक

न्यास व न्यास परिषद का प्रबन्धक **अरविन्द सिंह पुत्र स्व0 अनमोल सिंह** को आजीवन नामित किया जाता है, यह पद वंशानुगत विधिक वारिस से चलता रहेगा, न्यास व न्यास परिषद् के प्रबन्धक को यह अधिकृत किया जाता है, कि वह किसी भी अन्य न्यासी को या सदस्य को बिना किसी पूर्व सूचना या कारण बताये हटा सकेगा, और उक्त रिक्ति को किसी नये सदस्य द्वारा भरेगा, जो उस समय प्रवृत्ति किसी विधि के प्रतिकूल होने पर भी यह खण्ड प्रभावी होगा। इसके अतिरिक्त प्रबन्धक के कार्य अग्रलिखित अन्य अनुच्छेदों में वर्णित है।

Aravind singh

इस न्यास का प्रबन्धक मुख्य न्यासी के पश्चात न्यास में अंकित सदस्य/कोषाध्यक्ष ही प्रबन्धक होगा।

अनुच्छेद

1. प्रबन्धक के अतिरिक्त कोई भी न्यासी या सदस्य निम्नलिखित विर्निदिष्ट घटनाओं के अपघटन पर अपने कार्यो में अवमुक्त हों जायेगा।

(अ) लिखित पर त्याग (त्यागपत्र) द्वारा।

(ब) मृत्यु होने पर।

(स) न्यास परिषद् को बिना कोई समुचित कारण बताये लगातार तीन मिटिंग (बैठक) में अनुपस्थित होने पर।

(द) मानसिक एवं शारीरिक रूप से अक्षम होने पर।

(य) न्यास सम्पत्ति का अपवंचन करने पर।

(र) न्यासहित में कार्य न करने या उक्त उद्देश्य की पूर्ति में प्रतिकूल कार्य करने पर।

2. **न्यासी न्यास के उद्देश्य के अग्रसरण में अपना नियम व उपविधि बनायेगें।**

(अ) न्यास का कार्य न्यास के नियमें या प्रस्ताव के अनुसार बुलाई गयी न्यासी सभा/न्यास परिषद् के बहुमत से पारित किया गया हो ऐसे प्रस्ताव के माध्यम से बनाये गये नियम वैसे ही प्रभावकारी और बाध्यकारी होगें जैसे कि न्यास के प्रबन्धक और दो अन्य न्यासी के द्वारा सहमति प्राप्त होने पर होती है। ऐसा प्रस्ताव वैसे ही बाध्यकारी व प्रभावकारी होगा जैसे कि न्यासी का निर्णय विधि सम्मत सभा में पारित किया गया हो।

Aravindsingh

(ब) यह विधि सम्मत होगा यदि एक न्यासी हस्ताक्षर करता है, लिखित सहमति देता है, किसी समय या समय समय पर किसी प्रस्ताव पर एक या अधिक न्यासी जो कि किसी निश्चित या अभिनिश्चित न्यास की सभा में बनाये गये हो, और सहमति की प्राप्ति पर ऐसे सहमति या निर्णय उसी तरह बाध्यकारी व वैध माना जायेगा जिस तरह सहमति देने वाले न्यासी ने अपनी सहमति प्रारम्भ में दी हो।

(स) न्यासी की सभा वर्ष में कम से कम एक ब़ार आहूत होगी और न्यास परिषद् व न्यास को यह अधिकार होगा कि वह यह समय और अभिलम्बित कर सकती हो।

(द) न्यास की सभा न्यास के कार्यालय में या अन्य स्थान पर जहाँ पर प्रबन्धक को सुविधाजनक लगे या उसके द्वारा आदेशित किया गया हो, आहूत होगी।

(य) सामान्यतया इसकी सूचना सभा से पूर्व दी जायेगी जबकि सभी न्यासी सदस्य भारत में उपस्थित हो और सूचनार्थ द्वारा, सामान्य डाक से, पंजीकृत डाक से उस न्यास सदस्य के पिछले समय से ज्ञात पते पर भेजी जायेगी। न्यासी उसको छोड़कर जो भारत में नही है जो प्रस्ताव को हटाने में या सूचना को किसी न्यासी के पास भेजने में बाधा उपस्थित करेगा उससे सभा की कार्यवाही अवैध नहीं मानी जायेगी।

(र) पूरी संख्या का 1/3 न्यासियो की संख्या से गणपूर्ति बनायेगें परन्तु ऐसी गणपूर्ति किसी स्थगित सभा के लिए आवश्यक नहीं होगी।

Aravindsingh

(ल) सभा आधे घण्टे के भीतर सूचित समय से पहले प्रारम्भ होगी यदि ऐसे समय में गणपूर्ति पूर्ण नहीं है या अन्य रूप से निर्देशित है, सभा अगले दिन उसी समय व स्थान के लिए स्थगित हो जायेगी परन्तु स्थगित सभा केवल सूचित कार्य सूची संव्यवहार में लायेगी।

(व) प्रमुख न्यासी को यह अधिकार होगा वह इस न्यास की न्यास परिषद् या उप समिति गठित करेगी। और उसको वह शक्तियाँ देगी जिसे वह उचित समझते है। प्रमुख न्यासी इस परिषद या समिति या उपसमिति को समाप्त कर सकती है, या पुर्नगठित कर सकती है, और किसी भी समय यह शक्तियां आहरित कर सकती है, प्रबन्धक व महासचिव को यह अधिकार होगा कि वह अपनी शक्तियाँ किसी अन्य न्यासी या किसी अन्य पदाधिकारी को दे सकते है। और जब चाहे ले सकते है, या किसी और को दे सकते है।

3. न्यास अपने नियम, उपनियम या पदाधिकारी के कर्तव्यों की सुनिश्चित करते हुए पद सृजित कर सकती है।

(अ) न्यास में निम्नलिखित पद होगें।

1. प्रबन्धक 2. सचिव 3. कोषाध्यक्ष 4. सदस्य 5. अन्य पदाधिकारी जो समय–समय पर रखे गये हो।

प्रबन्धक एवं शेष पदाधिकारी नामांकित आजीवन के लिए रखे जायेगें जितने समय के लिए न्यास उचित समझे वे पुर्नपदावस्थित हो सकते है। कोई व्यक्ति एक ही समय में एक या एक से अधिक पद धारित कर सकता है। प्रारम्भिक सचिव संस्थापक न्यासी की

Aravind singh

इच्छा से जो अपना पद बनाये रखेगा जब तक न्यासी या प्रबन्धक अन्य व्यक्ति को न्यास का सचिव न बना दें।

(ब) न्यास का प्रबन्धक सामान्यतया न्यास को मार्गदर्षित करेगा तथा उसके कार्य आदेशित या पुनरिक्षित करेगा। वह न्यास कि अन्य सदस्यों को अपना कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। प्रबन्धक सभा की अध्यक्षता करेगा, वह न्यास परिषद् व समिति तथा उपसमिति की भी अध्यक्षता करेगा, परन्तु उसकी अनुपस्थिति में प्रमुख न्यासी किसी कार्य या प्रस्ताव पर निषेधाज्ञा दे सकता हैं और अपने निर्देश दे सकता है, ऐसा अधिकार होगा।

(स) प्रबन्धक न्यास के समस्त सम्पत्तियों का प्रबन्धन करेगा, तथा प्रबन्ध का प्रत्येक कार्य प्रबन्धक के निर्णयाधीन होगा।

(द) सचिव, न्यास के मसौदा, अभिलेख व पंजिका व्यवस्थित करेगा और न्यास की सभा प्रबन्धक की अनुमति से बुलायेगा, तथा न्यास के निर्णयों को सम्बन्धित व्यक्तियों को सूचित करेगा, वह कार्यालय व अभिलेख का प्रभारी होगा, और पर्यवेक्षण का कार्य करेगा। कोई भी कार्य प्रबन्धक के आदेश से करेगा।

(य) कोषाध्यक्ष सभी कोषों और सम्पत्ति का प्रभारी होगा, तथा सभी दान व चन्दा प्रबन्धक के अनुमति से ही एकत्रित करने के लिए अधिकृत होगा, वह सभी तरह का भुगतान प्रबन्धक के आदेश से ही करेगा तथा लेखा बही व्यवस्थित (मेन्टेन) करेगा।

Aravindsingh

(व) अन्य पदधारी अपने कार्य उसी प्रकार करेगें जैसा कि न्यास या प्रबन्धक द्वारा निर्देशित किया गया हो।

4. न्यास के वर्णित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यक व्यय न्यास की सम्पत्ति से या उससे अर्जित आय से या विधि सम्मत श्रोत से मिली आय से पूरा करेगा।

5. न्यासी प्रबन्धक को यह पूर्ण अधिकार होगा कि वह न्यास के लाभ के लिए न्यास में लिखित नियमों के अनुसार कोई भी प्रयास कर सकते है।

6. प्रमुख न्यासी को न्यास के अग्रसरण या लाभदायी समुत्थान या उसके संचालन में सभी कार्यो को करने की पूर्ण शक्ति जो न्यास विलेख के शर्तो के अधीन होगी।

7. (अ) न्यास इस विलेख द्वारा अधिरोपित निर्वचनों के मात्र शर्ताधीन न्यास के उद्देश्य तथा प्रयोजन के लिए एक मात्र एवं अनन्य रूप से न्यास सम्पत्ति से प्राप्त सम्पूर्ण आय का न्यासी उपयोजन करेगें, और किसी समय जहाँ यह सम्भव नहीं है ऐसी सम्पूर्ण आय के लिए व निधि का संचल करेगें और न्यास सम्पत्ति किसी भी वर्ष में समाप्त नहीं होगी तथा न्यासी न्यास प्रयोजन के लिए सभी विधिक और परिनियमित औपचारिकताओं का पालन करेगें।

(ब) न्यास के उद्देश्य के पूर्ति के अतिरिक्त न्यासी न्यास सम्पत्ति का उपभोग स्वयं के लिये नहीं करेगें ।

Aravind Singh

न्यास के उद्देश्य के अग्रसरण के लिए और न्यास के हित में न्यास की पूर्ण सम्पत्ति या उसके किसी भी भाग या किसी भी तरह की आस्तियों को न्यासी किराया, पट्टा, बेचना या विनियम या इसी प्रकार का आदान–प्रदान करने हकदार होगें। जो न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए होगा।

8. न्यासी न्यास सम्पत्ति या न्यास के प्रयोजनों के लिए निर्मित या अर्जित भवन, परिसर, या उसके किसी भाग या भूमि या भवन जो न्यास में निहित है, को किराये पर दे सकते है या उप पट्टा या समुपयोजन के अधिकार की किसी रियायत या अनुज्ञप्ति या इसी प्रकार के किराये का स्वामित्व, किसी व्यक्ति को वर्ष दर वर्ष, या ऐसी शर्तो पर व वर्षो। के लिए जैसा वे उपयुक्त समझे अन्य शर्तो पर दे सकते है, पर किराया या स्वामित्व प्रमुख न्यासी का बना रहेगा।

9. प्रमुख न्यासी किसी भी समय यदि वे यह मानते है कि न्यास हित में यह आवश्यक है, कि न्यास हित के लिए किसी शर्त पर अन्यथा वह उचित समझाते है, कि किसी बन्धक पर ऋण आवश्यक है, ले सकते है।

(अ) प्रमुख न्यासी न्यास के किसी विषेष या सामान्य उद्देश्य के पूर्ति हेतु अनुदान, अंशदान और अभिदान उपहार न्यास के नाम पर या अन्य तरीके से किसी व्यक्ति, निगम संस्था, राज्य या किसी देश के केन्द्रीय सरकार या अन्य किसी अन्य न्यास संस्था के रूप से या अर्न्तराष्ट्रीय अभिकरण और ऐसे सभी

Aravind singh

तरीकों से जैसे कि सोना, चाँदी के रूप में, धन, आभूषण, यन्त्र, कार्यशाला, उद्योग, चालू समुत्थान, भण्डार, कच्ची सामाग्री या उससे बने पद्वार्थ, स्वात्वाधिकार, अधिकार, अनुज्ञप्ति, लाभदायी जानवरों की रियायत और सभी प्रकार की स्थायी व अस्थायी सम्पत्तियॉ स्वीकार कर सकते है, परन्तु तथापि प्रमुख न्यासी बिना कोई कारण बतायें स्वविवेक से ऐसे सभी प्रकार के अंशदान या दान जिसमें किसी प्रकार की स्थायी या अस्थायी सम्पत्ति जो भी हो न्यासी द्वारा प्राप्त किये जोगें, जो न्यास सम्पत्ति को "काय" का भाग होगी।

(ब) ऐसा दान या अनुभाग यदि न्यासी द्वारा स्वीकार की गयी तो वह ऐसा बरता जायेगा जैसा कि उसके खर्च और व्ययन के सम्बन्ध में न्यास विलेख के शर्तो व नियमों के अनुसार हमेशा निर्णय द्वारा पुष्टि किया जायेगा।

10. प्रमुख न्यासी के लिए यह विधि सम्मत होगा कि वह किसी भी स्थायी सम्पत्ति या न्यास निधि की उपलब्धियों या उसकी आय को बिना गिराये, नवीनी करण, पुर्ननिर्माण, परिवर्तन, संवर्धन, विकास या मरम्मत में या जैसा कि वह उचित समझते हैं कर सकते हैं। प्रमुख न्यासी किसी सम्पत्ति में हितबद्ध व्यक्ति या स्वामी के साथ करार या अभिसमय और या बिन्धिनों या अन्यथा और न्यास सम्पत्ति में समाविष्ट के लाभ के लिए या ऐसी अन्य सम्पत्तियों जैसा वे समय–समय पर उचित समझे उनके पूर्णतः विवेकाधीन हो सकती है, करने हेतु भी अधिकृत होंगे

Aravind singh

11. प्रमुख न्यासी किसी परिसर जो न्यास निधि में समाविष्ट है के विरूद्ध फर्म द्वारा हानि, ज्वलनशील, या सिविल अशान्ति या अन्य जोखिम या हानियों के बीमा हेतु भी शक्ति रखेगें जैसा कि प्रमुख न्यासी स्मय–समयपर उचित समझते हैं। न्यासी को यह भी अधिकार होगा कि समय–समयपर भाड़ों, करों एवं अन्य निर्गमियों और परिधि के बाहर के खर्चे और अस्थायी सम्पत्ति के लाभों से अधिशेष को समाप्त करेगा। ऐसी राशियों या धन जिसे न्यासी उचित विचार द्वारा भारी पुर्ननिर्माण अवक्षरण के प्रयोग द्वारा ऐसी राशि या धन को जो भारी पुर्ननिर्माण के खर्च या अवक्षरण के लिए प्रयोग द्वारा या निक्षेप निधि और उसके प्रयोग में और भारी पुर्ननिर्माण के लिए आय या पुर्नसंर्वधन के लिए या अस्थायी सम्पत्ति के नवीनीकरण या नये भवन के निर्माण के लिए खर्चे उसी प्रकार से किये जायेंगें जैसे कि प्रमुख न्यासी विचार करके खर्च करने हेतु अधिकृत किये हों। यह भी विधि सम्मत होगा कि वे किसी धर्मादा प्रणाली या अन्य धर्मादा उद्देश्य के लिए या किसी अस्थायी सम्पत्ति, न्यास सम्पत्ति की उपलब्धियोंको धारित, प्रयोग और उपभोग की अनुज्ञा देगा। न्यासी न्यास की ऐसी शर्त जिसे वह उचित समझते हैं कि किसी कर्मचारी या न्यास के किसी कर्मचारी या सलाहकार को या उसके किसी अन्य भाग को अनुज्ञात करने कें लिए स्वतंत्र होगा।

12. (अ) प्रमुख न्यासी वर्ष में एक बार न्याससे सम्बन्धित परिसम्पत्तियों, उत्तरदायित्वों एवं प्राप्त आगमों एवं न्यास से उपगत व्ययों की एक लेखा विवरणी रखेंगे ऐसी लेखा विवरणी का परीक्षण, सम्परीक्षा और प्रमाणी करण प्रमुख न्यासी द्वारा होगा या ऐसा

Arvind singh

चार्टेड एकाउन्टेन्ट द्वारा जिसे न्यासी द्वारा समय–समय परऐसे पारिश्रमिक या अन्य रीति से जैसा कि, वह निर्णय लें नियुक्त कर सकते हैं। इन वार्षिक सम्परीक्षित लेखों का विवरण जैसे ही तैयार हो प्रमुख न्यासी द्वारा तुरन्त हस्ताक्षरित एवं स्वीकृत होंगे।

(ब) न्यास की सभी लेखा पुस्तिकायें न्यास के मुख्य कार्यालय या अन्य किसी ऐसे स्थान पर जहां प्रमुख न्यासी निर्णित करे रखी जायेंगी।

13. प्रमुख न्यासी किसी व्यक्ति जो ऐसे वेतन पर या सम्मानित सचिव व कोषाध्यक्ष और अन्य अधिकारी और कर्मचारीगण जो न्यास के लेखा पुस्तिकाओं को विलिखित एवं संरक्षित करें तथा पत्र संव्यवहार करें तथा न्यास के कार्यों को अग्रसारित करने में जो भी अन्य कार्यालय के कार्य हों उसके सम्पादन करने के लिए न्यासी ऐसे किसी को वेतन पर नियुक्त कर सकते हैं जैसा कि वह आवश्यक समझते हों। संस्थापक न्यासी के अतिरिक्त न्यासियों को न्यास की सेवा में किये कार्यों के लिए वेतन का भुगतान भी किया जा सकता है। जिसे प्रबन्धक उचित समझे।

14. प्रबन्धक को किसी आपातकाल स्थिति में निम्नलिखित नियम बनाने का अधिकार होगा जो इस विषय पर बनाये गये किसी नियम के अधीन होगा।

(अ) न्यास किसी सभा करने के लिए 24 घण्टे की सूचना देगा।

Aravind singh

(ब) न्यास की पूर्व मंजूरी की प्रत्याशा में रूपया 1000000/– **(दस लाख) तक** खर्च करने हेतु प्रमुख न्यासी अधिकृत होगा।

(स) न्यास की पूर्व मंजूरी की प्रत्याशा में किसी भी कार्य को कर सकेगा।

(द) न्यास के कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु अधिकृत होगा।

परन्तु उपरोक्त वर्णित संव्यवहारों के लिए यह हमेशा आवश्यक होगा कि उक्त संव्यवहारों को तीन माह के अर्न्तगत न्याससे अनुमोदन हेतु तुरन्त न्यास की सभा में रखा जायेगा।

15. न्यास की परिसम्पत्तियों का उपभोग केवल न्यास के उद्‌देश्यों के प्रतिपूर्ति में किया जायेगा और न्यास के किसी परिसर को किराये के भुगतान या न्यासी के रूप में की गयी ऐसी किसी वास्तविक सेवा के लिए वेतन या अग्रिम भुगतान के अतिरिक्त न्यासी किसी लाभ या लाभांश को न्यास की सम्पत्ति से प्राप्त करने के लिए अधिकृत नहीं हो सकते हैं।

16. इस न्यास विलेख में विलिखित लक्ष्य, उद्‌देश्य, प्रयोजन और अन्य उपबन्ध विधि के अनुरूप होंगें इसलिएयह न्यास विलेख कभी निष्फल नही होगा, लेकिन किसी समय यदि प्रमुख न्यासी यह पाते या उनकी जानकारी में यह आता है कि इसका कोई भी उपबन्ध यहाँ विधितः अवैध, समय या विधि के प्रतिकूल है तो यह उनके कर्तव्य में होगा कि वह ऐसे विशेष उपबन्ध को समाप्त कर दें ताकि अन्य उपबन्ध प्रभाव हीन, अवैध न हो

Aravind Singh

सकें। इस न्यास में दिये गये एकवचन शब्द जहाँ जिस सन्दर्भ में कोई बहुबचन शब्द स्वीकृत या आवश्यकतानुसार बहुबचन शब्द विपर्ययेन विवरचित होंगे। यह कार्य केवल प्रबन्धक (प्रमुख न्यासी) ही कर सकता है।

17. न्यास एक या अधिक बैंको मे खाता खोल सकता है, जो प्रबन्धक या किसी अन्य पदाधिकारी जिसे प्रबन्धक अधिकृत करें के हस्ताक्षर द्वारा संचालित हो सकता है।

18. न्यास का वित्तीय वर्ष उस वर्ष के 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होगा।

19. न्यास आवश्यक लेखा पुस्तिकाऐं तथा विभिन्न संव्यवहारों से सम्बन्धित अभिलेख रखेगा, जो सभी न्यासी प्रबन्धक के निरीक्षण के लिए खुला रहेगा। जो निम्नलिखित होगें।

(1) न्यास सम्पत्तियो की पुस्तिका।

(2) सभा के कार्य सूची तथा मसौदा की पुस्तिका।

(3) निर्गम/आगम एवं संप्रेषण पुस्तिका।

(4) दैनिक बही/रोजनामचा।

(5) लेखा पुस्तिका/रोकड़ बही।

(6) समय–समय पर न्यासी के नाम पतों का अभिलेख।

Arvind singh

(7) अन्य ऐसे अभिलेख तथा फाइलें जैसा कि आवश्यक हो।

20. सचिव या कोई अन्य पदाधिकारी, यदि ऐसा संस्थापक प्रबन्धक द्वारा निर्देशित है, और इनकी अनुपस्थिति में अन्यपदाधिकारी द्वारा जिसे न्यासपरिषद् द्वारा प्रस्तावित किया जा सयकता है, के हस्ताक्षर से यथारीति संविदा में प्रवेश करेंगें, जो पूर्व में विनिर्मित विनियमों के शर्ताधीन होगा।

21. न्यास द्वारा कोई भी वाद प्रबन्धक के नाम से ही संस्थित (दाखिल) किया जायेगा और न्यास के विरूद्ध कोई वाद प्रबन्धक के नाम से ही लाया जायेगा तथा न्यास से सम्बन्धित किसी विवाद का क्षेत्राधिकार जौनपुर में ही होगा।

22. न्यास की क्षतिपूर्ति में जहाँ पदाधिकारीगण द्वारा या न्यासी द्वारा उनके कर्तव्यों के निर्वहन में किये गये सद्भावपूर्ण कार्यों से उत्पन्न क्षति, उपगत खर्चे और समस्त अधिभार हेतु न्यासउत्तरदायी होगा। कोई न्यास या पदाधिकारी किसी अवचार, उपेक्षा या न्यास भंग के लिए उत्तरदायी नही होगा और वह स्वयं के अतिरिक्त किसी पदाधिकारी या अन्य सहन्यासी की तरह से किसी अवचार या उपेक्षा, या न्यास भंग के लिए उत्तरदायी नही होगा, सिवाय इसके कि वह उसे अपने इच्छित अवचार या सदोष उपेक्षा से किया गया हो।

23. इस उपरोक्त न्यास पर न्यास अधिनियम के प्राविधान लागू होंगे।

Aravind Singh

इस न्यास विलेख पर निम्नलिखित गवाहों के समक्ष उपरोक्त तिथि एवं वर्ष में हस्ताक्षरित करते हैं। एवं **सब रजिस्ट्रार कार्यालय मछलीशहर जौनपुर** के कार्यालय में पंजीयन हेतु प्रस्तुत करते है एवं न्यास की सम्पत्ति धनराशि रू0 11000/–(ग्यारह हजार रुपया मात्र) सरकारी दर पर स्टैम्प रु0 750/–(सात सौ पचास रु0) अदा किया जाता है। उक्त न्यास के नाम पंजीयन तिथि तक कोई अचल सम्पत्ति नही है।

Aravind Singh

सम्पर्वतक (संस्थापक)

अरविन्द सिंह

ग्राम व पोस्ट–बामी

तहसील–मछलीशहर,

जिला–जौनपुर उ0प्र0

सांक्षीगण

धर्मेन्द्र सिंह पुत्र
उमेन्द्र सिंह ग्राम व पोस्ट
बामी परग घिसुवा
जौनपुर
8175952321

बेद प्रकाश
S/o अवधनरायन
ग्राम व पो०-बामी
9455389414

इस न्यास विलेख को ललित मोहन तिवारी एडवोकेट द्वारा अभिलिखित किया गया है। मसविदाकर्ता - ललित मोहन तिवारी एडवोकेट रजि० 20/200 दिनांक- 9-3-2016

भारत निर्वाचन आयोग

ELECTION COMMISSION OF INDIA

मतदाता फोटो पहचान पत्र - ELECTOR PHOTO IDENTITY CARD

REV1922780

नाम
NAME
अरविन्द कुमार
ARVIND KUMAR

पिता का नाम
FATHER'S NAME
स्व. अनमोल
LATE ANAMOL

Aravindsingh

मो. 8948558118

लिंग / SEX — MALE/पुरुष

जन्म तिथि/उम्र
DATE OF BIRTH / AGE — XX/XX/1974

पता: म.स.121अ, बामी, थाना मछलीशहर कोतवाली, तहसील- मछलीशहर, जिला जौनपुर, पिनकोड - 222143

ADDRESS: H.No. 121a,BAMI,Thana Machhlishahar Kotwali,TEH- Machhlishahr,District Jaunpur,Pincode- 222143

DATE: 28/04/2014

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
ELECTORAL REGISTRATION OFFICER

विधान सभा निर्वाचन संख्या व नाम: 369 मछली शहर (अ जा0)

ASSEMBLY CONSTITUENCY NO & NAME: 369 MACHHLISHAHR (SC)

भाग संख्या व भाग नाम: 117 प्रा0वि0बामी उ0भाग

PART NO & PART NAME: 117 P S BAMI NORTH SIDE

नोट : Note

1. इस कार्ड को धारण करने मात्र से यह कोई गारंटी नहीं है कि आप वर्तमान निर्वाचक नामावली में निर्वाचक है। कृपया आपना नाम प्रत्येक चुनाव से पहले वर्तमान नामावली में जाँच ले।

Mere possession of this card is no guarantee that you are elector in the current electoral roll. Please check your name in the current electoral roll before every election.

2. इस कार्ड में उल्लिखित जन्मतिथि को निर्वाचक नामावली में पंजीकरण के अलावा अन्य किसी भी स्थिति में आयु के प्रमाण के रुप में नहीं माना जाएगा।

Date of Birth mentioned in this Card shall not be treated as a proof of age / D.O.B. for any purpose other than registration in electoral roll.

(2)

चालन अनुज्ञप्ति संख्यांक

[illegible]

जारी करने की तारीख [illegible]

नाम वेद प्रकाश उपाध्याय

पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री अवध नारायण उपाध्याय

स्थायी पता ग्राम [illegible]

पो०

थाना जिला औरैया

अस्थायी पता/कार्यालय का पता (यदि कोई हो)

थाना जिला

जन्म तिथि 09-06-75

(3)

शैक्षिक अर्हताएं

वैकल्पिक नागरिकता

रक्त समूह

आर०एच० फैक्टर

इस अनुज्ञप्ति के धारक को संपूर्ण भारत में निम्नलिखित वर्णन के यानों को चलाने की अनुज्ञप्ति प्रदान की जाती है [illegible]

बिना गियर वाली मोटर साइकिल

✓ गियर वाली मोटर साइकिल

~~अशक्त यात्री गाड़ी~~

✓ हल्का मोटर यान

परिवहन यान

रोड रोलर

(1)

प्रपत्र–6

[नियम 16(1) देखिये]

चालन अनुज्ञप्ति का प्रारूप

अनुज्ञप्तिधारक का नाम वेद प्रकाश उपाध्याय

पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री अवध नारायण उपाध्याय

फोटोग्राफ के अ
नाम लिखा जाए (अ
प्राधिकारी की मु
उसके हस्ताक्षर द
भाग फोटोग्राफ प
एक भाग चालन अ
पर होना चाहिए)

अनुज्ञप्तिधारक के नमू
हस्ताक्षर/अंगूठे के निश

वेदप्रकाश

9455389414

"जीवन बहुमूल्य है"

बिना चौकीदार वाले
रेलवे फाटक पर रुके।

दोनों ओर देखें
फिर पार करें।

छोटा परिवार–सुखी परिवार

No. B 619185

India Driving Licence

(Motor Vehicle Act 1988-89)

सत्यमेव जयते

STATE OF
UTTAR PRADESH